

# खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- ..... / न०नि०

सेवा में,

श्री शुभल (ज्ञानोर्जनवाल) मित्रा ग्राहक नन् अवृत्ति  
मित्रा/मति २. श्री शुभल मित्रा ग्राहक परिवार के लिए श्री पद्मेश्वर खट्टर अवृत्ति शास्त्री  
पता ..... ओला पाथर  
पास, धनबाद

धनबाद, दिनांक:-

विषय:- आवासीय/ व्यापारीय/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०- 836 / 11-12  
संबंधी आपके आवेदन दिनांक- 26.6.14 के संबंध में।

गहाशप,

10127 / 17-10-11 &

आपके आवेदन, दलील संख्या- 10715 / 25.10.14 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 5743, 5737, 5711-12  
जमावंदी रांख्या- 940 & 934 से निर्गत लागान रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्राप्ति प्रति, शपथ पत्र एवं  
Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/  
व्यापारीय/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन संबंधी बी०डी० केश नं० 836 / 11-12 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक,  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद प्रदान की गई है।

प्रदेशनुसार सूचित करना है कि खाल पाथर ने 25 मौजा अन्तर्गत खाता नं० - 06  
प्लॉट नं० - 1394, 1395 रकवा 40 एकड़ी भूमि पर स्वीकृत नक्शे के  
आनुसार लाईसेंसी अधिकारी श्री रस्ता खट्टर की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में  
अपोइन्टमेंट कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायी। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर  
प्रोजेक्ट के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताकारी को उपलब्ध करायी।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बैगेर किये गये किसी भी विभिन्न निर्माण को नियन्ति नहीं किया जा सकेगा,  
वाले उर्दे होना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण रामबाल समय पर कराना सुनिश्चित  
होगा।

आप इसे दृष्ट नक्शे में दर्शाये नाली से हटार अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

मात्र अवन विनियोग वे दायरे में आवासीय/ व्यापारीय/ औद्योगिक/ संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व,  
स्थानिक उपकरण नहीं है।

लिखित प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा  
सकेगा। भवन ज्ञान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भूस्वामित्र का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य  
सरकार/ नेशनल टिडिङ डोड के अध्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकरण में मद में 35% कुल रु० 138.0/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा  
सदायक शमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना रवयं रुनिश्चित करेंगे।

८

कार्यपालक अधिकारी,  
नगर निवेशन

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार

धनबाद।

दायरेंक - टी०पी० 118 / नगर निवेशन,

दिनांक:- 11 / 11 / 14

प्राप्तिलिपि:- श्री रस्ता खट्टर लाइसेंसी अधिकारी, धनबाद।

प्राप्तिलिपि:- खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

कार्यपालक अधिकारी,  
नगर निवेशन

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार

धनबाद।

11/11/14